Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-5, No. II, Aug.-2018, pp.Hin.36-38

स्वतंत्रता से पूर्व भारत की माध्यमिक शिक्षा के विकास में स्वायत्तशासी संस्थाओं की भूमिका

डॉ. डी.पी. मिश्र, (एसोशिएट प्रोफेसर)
कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एण्ड सोशल साइन्सेस,
सुल्तानपुर उत्तर–प्रदेश भारत।
सुवृत्ता दीक्षित (शोध छात्रा)

शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। माध्यमिक शिक्षा जहाँ एक ओर उच्च शिक्षा हेतु एक सेतु का कार्य करती है वहीं दूसरी ओर कतिपय विद्यार्थियों को जो उच्च शिक्षा हेतु स्वयं को सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य कारणों से लाभान्वित होने में असमर्थ पाते हैं उन्हें भी जीवन यापन हेतु आवश्यक योग्यता प्रदान करती है। भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास आदिकाल से ही स्वायत्तशासी आश्रमों, मठों, विहारों एवं विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से ही हुआ। राज्य शासन समय–समय पर विभिन्न अनुदानों के माध्यम से इनकी सहायता करते थे किन्तु उपर्युक्त संस्थाएँ अपने संचालन हेतु अपने नियम स्वतः निर्धारित करती थी। राज्य का प्रभुत्व इन आश्रमों की परिधि के बाहर तक ही सीमित रहता था। मध्यकाल में सामन्तशाही के अभ्युदय एवं वाह्य आक्रमणों ने हमारे शैक्षिक ढ़ाँचे को अत्यधिक क्षति पहुँचायी। परिणामतः विशाल विश्वविद्यालयों तथा आश्रमों का विनाश हो गया तथापि हमारे देश के विभिन्न मन्दिरों एवं मठों ने शिक्षा की ज्योति को प्रज्ज्वलित रखा। इसके साथ ही देश में मकतब एवं मदरसों का भी विकास हुआ जिन्हें शासक वर्ग द्वारा अनुदान भी प्राप्त होता था।

भारत में कम्पनी शासन की स्थापना के पश्चात् भी मंदिरों, पाठशालाओं, मकतबों एवं मदरसों ने स्थानीय सहयोग के आधार पर अपना संचालन जारी रखा। आरम्भ में कम्पनी एक लाभार्जन करने वाली संस्था की भाँति ही कार्य कर रही थी। उस पर किसी भी प्रकार का सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं था। किन्तु इस स्थिति में भी "कई कठिनाइयों और अडचनों के बावजूद भारत में आमतौर पर शिक्षा की मांग थी। इसलिये देश में सभी जगह भारतीय शिक्षण प्रणाली की शिक्षण संस्थायें थी। इसमें कोई शक नहीं कि आधुनिक प्रणालियों से यह प्रणाली अलग थी और इसे मध्यकालीन प्रणाली भी कहा जा सकता है लेकिन चाहे वह कितनी भी दोषपूर्ण या अवैज्ञानिक हो उसने अपने समय की आवश्यकतायें पूरी की।"[1]

यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पनी के शासकों का एक वर्ग, भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रभावित था। इन लोगों में प्रमुख थे वारेन हेस्टिंग्स जिन्होने 1781 ई0 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना में योगदान किया 1784 ई0 में प्रसिद्ध प्राच्यवेत्ता सर विलियम जोंस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के सहयोग से सम्भव हुयी जो तत्समय बनारस में अंग्रेजों के रेजीडेण्ट थे। इस प्रकार स्थापित की गई इन संस्थाओं को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में ही स्थापित किया गया। इनका समय–समय पर कम्पनी द्वारा अनुदान प्राप्त होता था किन्तु प्रशासकीय व्यवस्था आदि के लिये यह संस्थाए पूर्णतः स्वायत्त थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी जिसकी स्थापना एक व्यापारिक संस्था के रूप में की गई थी शनैः शनैः भारत पर शासन करने लगी। उसका राज्य इंग्लैण्ड से भी विशाल क्षेत्र में विस्तृत हो गया किन्तु उस पर कोई भी प्रशासकीय उत्तरदायित्व नहीं था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर कम्पनी के शासन को ब्रिटिश विधि के आधीन घोषित किया साथ ही अब कम्पनी के शासन हेतु प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात् चार्टर एक्ट द्वारा नियमित करने का भी प्राविधान किया गया। 1793 में चार्टर एक्ट बनाये जाते समय भारत में शिक्षा के प्रति अनुदान की मांग की गई किन्तु इस मांग के प्रति 1813 में पारित चार्टर एक्ट में ध्यान दिया गया तथा शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष एक लाख रूपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई।[2]

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दशकों में अनेक स्वायत्तशासी विद्यालय स्थापित हुये। चिनसुरा में प्रसिद्ध मिशनरी राबर्ट ने 1814 ई0 में एक स्कूल की स्थापना की। कुछ समय में आस–पास के क्षेत्र में उसने लगभग 16 विद्यालय स्थापित कर दिये।

Scanned by CamScanner

बनारस में श्री जय नारायण घोषाल ने 1814 में एक स्कूल चलाया, कलकत्ता में राजाराम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर एक अभियान चलाया जिसके परिणामस्वरूप 1817 में कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में हुयी। इतना ही नहीं इस विद्यालय में आधुनिक विषयों का अध्यापन प्रारम्भ किया गया। पाठ्य पुस्तकों की समस्या को दूर करने हेतु 1817 ई0 में डेविड हेयर जी के प्रयासों से स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित की गई।

वर्ष 1835 ई. में चार्टर एक्ट ने शिक्षा के लिये अनुदान की राशि को एक लाख रूपये प्रतिवर्ष बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया। इससे कम्पनी में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अन्ततः गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक के विधिक परामर्शदाता लार्ड मैकाले ने व्यवस्था दी कि कम्पनी सरकार शिक्षा के लिये प्रदत्त अनुदान का प्रयोग भारतीय शिक्षा पद्धति पर नहीं करेगी अपितु इसका प्रयोग भारत में पाश्चात्य शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु किया जायेगा।

नवीन शिक्षा नीति के फलस्वरूप भारत आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के पथ पर तीव्रगति से अग्रसर होने लगा। 1835 ई0 में ही भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने हेतु कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अभूतपूर्व आकर्षण देखा गया। 1835 ई0 से पूर्व जन शिक्षा समिति के आधीन केवल 14 स्कूल एवं कॉलेज थे किन्तु आगामी कुछ ही वर्षों में इनकी संख्या 48 तक पहुँच गई। इन स्वायत्तशासी विद्यालयों की विशेषता थी कि इनके द्वार बिना किसी जाति अथवा धर्म के भेद के सभी के लिये खुले थे। इस प्रकार पहली बार सामाजिक रूढ़ियों के बन्धन शिथिल होने लगे। बाम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेन्सी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अभी भी धीमी गति से चल रहा था। 1850 ई0 तक बाम्बे प्रेसिडेन्सी में सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों की संख्या दस हो गयी इनमें लगभग 200 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। मद्रास प्रेसीडेन्सी में 1837 ई0 में चर्च ऑफ स्काटलैण्ड के मिशनरियों ने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की 1841 ई0 में मद्रास में प्रथम कॉलेज स्थापित हुआ। किन्तु मद्रास सरकार शिक्षा के प्रसार के प्रति उदासीन रही। यहाँ शिक्षा के प्रसार में मिशनरी विद्यालयों का विशेष योगदान रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक मिशनरी के 1100 से अधिक विद्यालय स्थापित हो चुके थे जिनमें 33000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे।[3]

1835 ई0 के मैकाले प्रस्ताव ने भारतीय शिक्षा में नई समस्या खड़ी कर दी। कम्पनी ने भारतीय माध्यम से शिक्षा देने वाले विद्यालयों की उपेक्षा कर अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम के विद्यालयों को ही बढ़ावा देना आरम्भ कर दिया किन्तु भारत की अधिकांश जनता इस शिक्षा से पृथक हो गयी क्योंकि न उन्हें अंग्रेजी आती थी न संस्कृत न ही अरबी–फारसी। इनकी मातृभाषा तो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी। उत्तर पश्चिम प्रान्त (कालान्तर में संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टोमासन ने इस समस्या को समझा और उसके निराकरण हेतु प्रयास भी किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तहसील में एक आदर्श सरकारी स्कूल स्थापित किया जाये तथा उच्च देशी स्वायत्तशासी विद्यालयों को भी सहायता प्रदान की जाये। उनकी शैक्षिक प्रगति की समीक्षा हेतु एक महानिरीक्षक, जिला निरीक्षक तथा परगना निरीक्षक जैसे अधिकारी नियुक्त किये गये। आरम्भ में यह योजना मात्र आठ जनपदों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की गई।[4]

यह प्रयोग अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ। बंगाल शिक्षा परिषद् के सचिव एफ0जे0 मुआत ने इन विद्यालयों के शिक्षा के स्तर का निरीक्षण किया तथा इनकी अत्यधिक सराहना भी की। यह पाया गया कि सन्दर्भित 8 जिलों में योजना के दूसरे ही वर्ष छात्रों की संख्या 17 हजार से बढ़कर 30 हजार हो गयी। इसकी सफलता को देखते हुये श्री मुआत ने इस योजना को समग्र उत्तर पश्चिम प्रान्त, बंगाल एवं बिहार में लागू करने की अनुशंसा की।

वर्ष 1853 में कम्पनी के आज्ञापत्र के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश लोकसभा ने भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच हेतु एक संसदीय समिति नियुक्त की। इस समिति ने भारत के शैक्षिक उन्नयन हेतु अपनी संस्तुतियाँ रखी जिन्हें 19 जुलाई 1854 को एक आज्ञापत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। इस समिति का सदस्य न होते हुये भी कम्पनी के नियंत्रण बोर्ड के प्रधान सर चार्ल्स वुड के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। यह भारतीय शिक्षा के प्रति कम्पनी सरकार का प्रथम विस्तृत नीतिगत घोषणा पत्र था। इसे भारतीय शिक्षा के मैग्नाकार्टा की संज्ञा भी दी जाती है।[5]

वुड के आज्ञापत्र के द्वारा स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा के प्रसार का समस्त उत्तरदायित्व कम्पनी पर है।[6] इस घोषणा के द्वारा कम्पनी ने मैकाले की प्रणाली से विपरीत सहायता अनुदान प्रणाली को अपना लिया। यह प्रणाली इंग्लैण्ड में सफल रही थी। शिक्षा में तीव्र विकास हेतु सरकार के व्यय में वृद्धि तथा स्थानीय संस्थाओं में राज्य की सहायता से भारत में शैक्षिक विकास करने की व्यवस्था की गई।[7]

Scanned by CamScanner

वुड के आज्ञा पत्र के जारी होने के पश्चात् 1857 ई0 में भारत में क्रांति हुयी जिसके पश्चात् भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया। इस घटनाक्रम के पश्चात् भी वुड का आज्ञापत्र एक मार्गदर्शक बना रहा। सरकार ने विभिन्न नगरों कस्बों तथा जिला मुख्यालयों में अनेक माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये। 1882 ई0 तक भारत में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1363 हो गई जिनमें 45000 छात्र अध्ययनरत थे। साथ ही सरकार ने विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं को भी अनुदान प्रदान किया। 1882 ई0 तक इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या 1841 हो गई। मिशनरियों द्वारा स्थापित विद्यालयों की संख्या भी 757 हो गई। इन सभी गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का स्वरूप स्वायत्त था किन्तु ये प्रान्तीय सरकार से मान्यता एवं वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे थे।[8]

1882 ई0 में भारत के गवर्नर जनरल लार्ड रिपन ने एक भारतीय शिक्षा आयोग गठित किया इस आयोग की अध्यक्षता सर विलसन हण्टर ने की। इस आयोग का मुख्य कार्य वुड के आज्ञा पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वुड की नीति को आगे बढ़ाते हुये स्वायत्त संस्थाओं को ही अनुदान देकर शिक्षा के प्रसार की नीति को अपनाने की अनुशंसा की। आयोग का विचार था कि सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक हाईस्कूल की स्थापना करना है उसके पश्चात् उस जिले की माध्यमिक शिक्षा का प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिये। यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा हेतु राज्य द्वारा संचालित स्कूल की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो तो यह सहायता अनुदान प्रणाली पर आधारित हो।[9] इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय संस्थाएँ जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत आदि ने भी विद्यालयों की स्थापना की। वर्ष 1902 तक माध्यमिक अनुदानित विद्यालयों की संख्या बढ़कर 5124 हो गयी जिनमें 5,90,000 छात्र अध्ययनरत थे। वर्ष 1902 में मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 23000 हो गयी।

1909 ई0, 1919 ई0 तथा 1935 के अधिनियमों के द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था का शनैः शनैः भारतीयों को हस्तान्तरण किया गया परिणामतः शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आया। स्थानीय आवश्यकतानुसार विद्यालय आरम्भ हुये तथा उन्हें अनुदान भी प्राप्त हुये। शिक्षा का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। 1937 ई0 में ब्रिटिश भारत में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13000 से अधिक हो गई जिनमें 23 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। किन्तु 1941 की जनगणना से विदित हुआ कि भारत की साक्षरता दर अभी भी 12.2: ही थी। अभी भी शिक्षा समाज के उच्च वर्ग तक अधिक व्याप्त थी। सबका समावेशन करने हेतु जिस वातावरण की आवश्यकता थी वह था स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुता का। शीघ्र ही देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रीय सरकारों ने शैक्षिक विकास को प्रशस्त किया।

संदर्भ

1. भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास भाग–3 (आधुनिक भारत), पी0ए0 चोपड़ा, बी0एन0 पुरी0, एम0एन0 दास, पृष्ठ सं0–226, संस्करण 1981 मैकमिलन इं0लि0।
2. चार्टर एक्ट, 1813, धारा–43
3. भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, चौपड़ा, पुरी, दास, पृ0–245
4. आठ जनपद में– मथुरा, आगरा, बरेली, इटावा, फर्रूखाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, तथा शाहजहाँपुर।
5. "Wood Despatch is Magna Charta of Education in India", Richey, J.A., Selection from the Education Records, part-II, p-364
6. Among Many Subjects of importance, none can have a stronger claim to our attention than that of education. It is one of our most sacred duties.- Wood's Despatch.
7. We have therefore resolved to adopt in India the system of grants-in-aid which had been carried out in this country (England) with very great success and we confidently anticipate by thus drawing support from resources in addition to contribution from the state a far more rapid progress of education than would follows a mere increase of expenditure by government.- Wood's Dispatch, 1854
8. भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास–चोपड़ा, पुरी, दास, पृष्ठ–265
9. The duty of the Government was only to establish a high school in every district and after that the expansion of secondary education in that district should left to private enterprise. Report of Indian Education Commission, 1982

Scanned by CamScanner